

2/2/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 12/4/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

12/4/24

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार  
इसोसियेशन का कार्य किया हुआ  
है। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य  
में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 14/6/24 को पेश हो।

9  
आज्ञा से रीडर

14/6/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 30/2/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

30/8/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 22/11/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

22/11/24 - पत्रावली देवाहुरी / वकी आधि 0340  
प्रकार आधी आदेश में दिनांक  
20/12/24 को पेश हो

20/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकी आधि वरता एवं  
वकी अनुपस्थित। वकी एवं वकी आधि वरता  
को निपमानुसार तीन बार आवाजे लगवाई  
गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वकी एवं  
वकी आधि वरता को उपस्थित न होने के कारण एक बार  
आवाज लगवाई गई। समय 5-50 PM हो चुका  
है। वकी एवं वकी आधि वरता के उपस्थित न होने  
के कारण वकी द्वारा उपलब्ध  
वाद अदम (वकी) अदम पेशी में जाटि किया जाता  
है। निपति सबे इच्छास सुनाया गया। उम्मी पेशी  
वारी हो। पत्रावली नमाल इमार लेकर वापस  
लान्तर हो नमाल नमाल से कम हो।

आदेश से रीडर  
20/12/24

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. मांगीलाल पुत्र चमना जी जाति भाम्बी आयु 33 साल निवासी कारोई कलां, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नारायणलाल पुत्र कानू जी जाति ढोली आयु 40 साल निवासी कारोई कला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

2. गोपाललाल पुत्र कानू जी जाति ढोली आयु 30 साल निवासी कारोई कला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

3. मांगी पुत्री कानू जी पत्नी मोहनलाल जी जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कारोई कला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी काबरिया खेड़ा मजस-गोबलिया तह0-सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

4. सुखी पुत्री कानू जी जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कारोई कला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी तारा का खेड़ा तह0 रेलमगरा जिला राजसमन्द

5. रूकमा पुत्री कानू जी जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कारोई कला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

6. केशर पत्नी कानू जी जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कारोई कला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

तादा

7. प्रभुलाल पुत्र मीठालाल जी जाति बैरवा निवासी पाल का खेड़ा तह0 बरसी जिला चित्तोड़गढ

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन कृषि आराजियात

प्रकरण संख्या 40/2019 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री प्रदीप व्यास अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 20.12.2024 को

पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
20/12/24  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा